

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नो व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
<p>28.04.2025</p>	<p style="text-align: center;">न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर अपील संख्या- 04/2008 विविध डी.पी. एक्ट (GCMS No. 2008/00004)</p> <p>अनवान:</p> <ol style="list-style-type: none"> काहन सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह रायसिख निवासी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर। <p style="text-align: center;">बनाम</p> <ol style="list-style-type: none"> चीफ सैटलमेन्ट कमीश्नर श्रीगंगानगर। अथोरइज्ड सैटलमेंट कमीश्नर। (अतिरिक्त जिलाधीश सतर्कता) जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर। करतार सिंह पुत्र खण्डासिंह रायसिख निवासी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर। <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांत को बार-बार आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांत स्वयं उपस्थित हुए। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांत को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक उपस्थित नहीं हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(डॉ. रवि कुमार सुरपुर) संभागीय आयुक्त, बीकानेर</p>	

